A 1/1

6

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,झुंझुनू
पीठासीन अधिकारी अलका बिश्नोई (आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

मुकदमा नम्बर पुराना– 84/2014
मुकदमा नम्बर नया– 21/2018

1. सरोज शर्मा पत्नी श्री मनोज कुमार शर्मा जाति ब्राहमण निवासी एफ ब्लॉक–38, 39 इन्द्रा नगर झुंझुनू (राज0)

– प्रार्थी

बनाम

1. बनवारी पुत्र स्व. हनुमान जाति ब्राहमण निवासी अजाड़ी खुर्द तहसील झुंझुनू (राज0)
2. बनारसा उर्फ बनारसीलाल पुत्र स्व. हनुमान निवासी अजाड़ी खुर्द हाल निवासी चन्दा का वास तहसील भीवानी (हरियाणा)
3. बिजेन्द्र पुत्र स्व. बद्रीप्रसाद जाति ब्राहमण निवासी अजाड़ी खुर्द तहसील झुंझुनू ।
4. संदीप पुत्र बद्रीप्रसाद जाति ब्राहमण निवासी अजाड़ी खुर्द तहसील झुंझुनू।
5. रवी पुत्र स्व. बद्रीप्रसाद जाति ब्राहमण निवासी अजाड़ी खुर्द तहसील झुंझुनू।
6. शारदा पत्नी स्व. बद्रीप्रसाद जाति ब्राहमण निवासी अजाड़ी खुर्द तहसील झुंझुनू।
7. महेश पुत्र स्व. उमाराम जाति ब्राहमण निवासी अजाड़ी खुर्द तहसील झुंझुनू।
8. पवन पुत्र स्व. उमाराम जाति ब्राहमण निवासी अजाड़ी खुर्द तहसील झुंझुनू।
9. रामप्यारी पत्नी स्व. उमाराम जाति ब्राहमण निवासी अजाड़ी खुर्द तहसील झुंझुनू।
10. हरी प्रसाद पुत्र स्व. डालुराम जाति ब्राहमण निवासी अजाड़ी खुर्द तहसील झुंझुनू।
11. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार झुंझुनू।

–अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ताः–

1. श्री अशोक कुमार शर्मा–प्रार्थी की ओर से
2. श्री अमित कुमार शर्मा–अप्रार्थी संख्या 10 की ओर से
3. श्री श्रवण कुमार सैनी जी.ए.–राज्य सरकार की ओर से

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय

दिनांक 16.10.2018

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) का न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 29.09.2016 को निर्णय पारित किया गया। जिसकी अपील अप्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर कैम्प झुंझुनू के यहां पेश करने पर माननीय न्यायालय द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.09.2016 को खारिज किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया कि प्रकरण में मौके की रिपोर्ट तहसीलदार से मगवाई जाकर अपना निर्णय पुनः पारित करे। माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार प्रकरण में वर्णित तथ्यों बावत तहसीलदार झुंझुनू से निर्देशानुसार विवादित रास्ते बावत बिन्दुवार मौका रिपोर्ट मगवाई गई। तहसीलदार झुंझुनू ने अपने पत्र कमांक राजस्व/251क/2018/1760 दिनांक 06.07.2018 के द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
झुंझुनू (राज.)

Scanned by CamScanner

A 1/2 7

रिपोर्ट भेजी कि प्रस्तावित रास्ता मौके व रिकार्ड के अनुसार खसरा न. 323 व 320 के मध्य की सींव से जाने वाला निकटतम रास्ता है। कृषि उपकरण लाने व ले जाने हेतु 4 मीटर चौड़ा रास्ता दिया जाना उचित है। जो खसरा न. 323 मे से 95 मीटर लम्बा 2 मीटर चौड़ा तथा खसरा न. 320 मे से 95 मीटर लम्बा व 2 मीटर चौड़ा इस प्रकार कुल 95X4 मीटर रास्ता दिया जाना उचित होगा। खसरा न. 323 मे से 0.02 हैक्टर व खसरा न. 320 मे से 0.02 हैक्टर भूमि प्रस्तावित रास्ते मे आयेगी। हमने वकील प्रार्थी/अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस व मौका रिपोर्ट तहसीलदार, माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर द्वारा पारित निर्णय का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तथा वकील पक्षकारान बहस पर बगौर मनन किया। जिससे रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार प्रार्थी को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश

प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार झुंझुनू को आदेशित किया जाता है कि मौका जांच रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शे से लाल स्याही से दर्शाये अनुसार ग्राम अजाड़ी खुर्द में प्रार्थी की खातेदारी की भूमि हाल खसरा न. 321 व 336 मे आने जाने हेतु प्रस्तावित रास्ता खसरा न. 323 व 320 की मध्य की सींव से 4 मीटर चौड़ा जो खसरा न. 323 ग्राम अजाड़ी खुर्द मे से 95 मीटर लम्बा व 2 मीटर चौडा तथा खसरा न. 320 मे से 95 मीटर लम्बा व 2 मीटर चौड़ा इस प्रकार कुल 95X4=380 मीटर रास्ता प्रार्थी को अपने खेत खसरा न. 321 व 336 की सीमा तक नया रास्ता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त रास्ते मे दी गई भूमि 380 मीटर की डी.एल. सी. राशि की दुगुनी राशि प्रार्थी से प्राप्त करें व अवधारित भूमि के मूल्य के अतिरिक्त यदि रास्ते मे खड़े वृक्ष, फसल या सरंचना को हटाने के कारण कोई हानि या नुकसान होता है तो वास्तविक हानि या नुकसान की रकम भी अवधारित की जाकर जमा करवाने के आदेश भी दिये जाते हैं तथा प्रस्तावित पक्षकारों को प्रतिकर की मुआवजा राशि अदा किये जाने के आदेश भी दिये जाते हैं। तहसीलदार झुंझुनू को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मौके पर जाकर रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड व नक्शे मे तरमीम करें। तहसीलदार झुंझुनू को तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनांक 16.10.2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

16/x/18

(अलका बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी,झुंझुनू